



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243901
CG-DL-E-24022023-243901

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944

No. 104]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी 2023

सा.का.नि. 126(अ).—सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 (2021 का 42) की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम 2022 में -

(क) नियम 18 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्: -

“19. भारत के भीतर या बाहर व्यक्तिगत उपयोग के लिए युग्मकों और भ्रूणों का स्थानांतरण -

जो कोई भी अधिनियम की धारा 29 के तहत भारत के भीतर या बाहर व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने युग्मकों और भ्रूणों को स्थानांतरित करने का इरादा रखता है, वह आवेदन करेगा या प्ररूप 16 से 24 में घोषणा प्रस्तुत करेगा, जैसा कि लागू हो और राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

(ख) अनुसूची 1 को उसकी अनुसूची के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित अनुसूची में, प्ररूप 15 के बाद, निम्नलिखित प्ररूपों को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्ररूप 16

[नियम 19 (i) देखें]

भारत के भीतर और बाहर युग्मक (शुक्राणु और ओसाइट या भ्रूण) के स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम:
2. वैवाहिक स्थिति :.....(विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा)
3. पति/पत्नी का नाम (यदि लागू हो).....
4. पता:
5. संपर्क नं.
6. ईमेल आईडी
7. आधार सं.....पति/पत्नी (यदि लागू हो)
8. पासपोर्ट सं. पति/पत्नी (यदि लागू हो)
9. पैन सं..... पति/पत्नी (यदि लागू हो)
10. आवेदक/पति/पत्नी की जन्म तिथि..... (दिन/महीना/वर्ष)
11. (भ्रूण / शुक्राणु / ओसाइट्स) का स्थानांतरण
12. स्थानांतरण: (भारत के भीतर / बाहर)
13. प्रेषक (चिकित्सक का नाम / क्लिनिक का पता / संपर्क / ईमेल पता):
.....
.....
14. सेवा में (चिकित्सक का नाम/क्लिनिक का पता/संपर्क/ईमेल पता):
.....
.....
15. मात्रा वायल्स (शुक्राणु)/ओसाइट्स/भ्रूणों की संख्या)
- 15 क. स्थानांतरण का उद्देश्य (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी)
16. शपथ पत्र निष्पादित: हां / नहीं
17. युग्मक/भ्रूण रखने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र: हाँ/नहीं
18. युग्मक/भ्रूण प्राप्त करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र: हाँ/नहीं
19. सहायक दस्तावेजों की सूची:
20. आधार की प्रति (हां/नहीं)
21. पासपोर्ट की प्रति (हां/नहीं) (यदि भारत के बाहर स्थानांतरित किया जाता है)
22. सामाजिक सुरक्षा संख्या की प्रति (यदि भारतीय मूल का व्यक्ति/विदेशी है)
23. आवेदन करने की तिथि

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ये युग्मक (शुक्राणु/ओसाइट)/भ्रूण हमारे अपने हैं और केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्थानांतरित किए जा रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

पति/पत्नी के हस्ताक्षर (यदि लागू हो)

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

प्ररूप 17**[नियम 19 (ii) देखें]****भारत के बाहर भ्रूण के स्थानांतरण के लिए शपथ पत्र**

मैं/हम और
निवासी

..... आधार संख्या और
(यदि लागू हो) / पासपोर्ट संख्या (पति) (पत्नी)/या
..... (व्यक्ति का नाम) मैंने/हमने अपने/हमारे भ्रूणों को (तारीख) से
..... (क्लिनिक
का नाम और पता) पर क्रायोप्रीजर्वेशन कर लिया है। और हम मेरे/हमारे (भ्रूणों की संख्या)
को भारत के बाहर के प्रयोजन के लिए (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी) (विदेशी एआरटी क्लिनिक का नाम और
पता) को स्थानांतरित करना चाहते हैं।

..... इन भ्रूणों का निर्माण के
शुक्राणुओं और के अंडाणुओं से किया गया है और
इन भ्रूणों पर कोई लिंग चयन नहीं किया गया है।

ऊपर अनुरोधित भ्रूणों का हस्तांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 (2021 का 42) के
किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा देश के वर्तमान नियामक उपबंध जहां मैं / हम भ्रूण को स्थानांतरित
करने का इरादा रखते हैं, इन भ्रूणों के हस्तांतरण की अनुमति देता है।

हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मकों को बेचना, मानव भ्रूण या युग्मकों की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक
एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा।



घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण,
यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख: _____

स्थान: _____

दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर



विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी
मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो
शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 18

[नियम 19 (iii) देखें]

युग्मक (शुक्राणु/ओसाइट) के स्थानांतरण के लिए शपथ पत्र

मैं/हम और निवासी
.....

..... आधार संख्या और
..... (यदि लागू हो) /पासपोर्ट संख्या.....(पति)
..... (पत्नी)/या (व्यक्तिगत) मैंने/हमने अपने/हमारे
..... (शुक्राणु/ ओसाइट) को (तारीख) से कायोप्रिजेर्वेशन कर लिया
है। (क्लिनिक
का नाम और पता) और हम अपना/हमारा युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) की (संख्या/शीशी)
के प्रयोजन के लिए (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी)..... को (विदेशी एआरटी
क्लिनिक का नाम और पता) स्थानांतरित करना चाहते हैं।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) पर एक्स और वाई गुणसूत्रों को अलग नहीं किया गया है।
ऊपर अनुरोधित युग्मकों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का
42) के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है।

मैं/हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मक बेचना, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी,
एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा।


घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण,
यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख: _____

स्थान: _____

दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर



विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

नोट:न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी -शपथ पत्र गैर
मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्षविधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो
शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप19

[नियम 19 (iv) देखें]

भारत के भीतर भ्रूण के हस्तांतरण के लिए शपथ पत्र

मैं मैं/हम और निवासी
.....

आधार संख्या और (यदि लागू

हो) /पासपोर्ट संख्या.....(पति)..... (पत्नी)/या
 (व्यक्तिगत) मैंने/हमने अपने/हमारे भूणों को (तारीख)
 पर क्रायोप्रीजेर्वेशन कर लिया है। (क्लिनिक
 का नाम और पता) और हम अपने / हमारे (भूणों की संख्या) को (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या
 सरोगेसी) के प्रयोजन के लिए(क्लिनिक का नाम और पता)..... में
 स्थानांतरित करना चाहते हैं।

इन भूणों का निर्माण के शुक्राणुओं और के
 ओसाइट से किया गया है। और इन भूणों पर कोई लिंग चयन
 नहीं किया गया है। जिस देश में मैं/हम भूण स्थानांतरित करना चाहते हैं, वहां के वर्तमान विनियामक उपबंध इन भूणों के
 स्थानांतरण की अनुमति देते हैं।

ऊपर अनुरोधित भूणों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42)
 के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है।

मैं/हम समझते हैं कि मानव भूण या युग्मक बेचना, मानव भूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी,
 एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा।


घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण,
 यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख: _____

स्थान: _____

दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर



विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी
 मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो
 शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 20

[नियम 19 (v) देखें]

भारत के भीतर युग्मक के हस्तांतरण के लिए शपथ पत्र (ओसाइट्स/शुक्राणु)

मैं/हम..... और..... निवासी.....
 आधार संख्या..... और
 (यदि लागू हो) / पासपोर्ट संख्या (पति)
 (पत्नी)/ या (व्यक्तिगत) मैंने/हमने अपने/हमारे
 (शुक्राणु/ ओसाइट) को (तारीख) से में
 (क्लिनिक का नाम और पता) क्रायोप्रीजर्व कर लिया है..... और हम अपने/हमारे
 युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) की संख्या/शीशी) को (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या
 सरोगेसी) के प्रयोजन के लिए में (क्लिनिक का नाम और
 पता)..... (स्थानांतरित करना चाहते हैं।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) पर एक्स और वाई गुणसूत्रों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया है।

ऊपर अनुरोधित युग्मकों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है।

मैं/हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मक बेचना, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा।



घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख: _____

स्थान: _____

दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर



विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 21

[नियम 19 (vi) देखें]

जमे हुए भ्रूण को रखने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे क्लिनिक..... (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम / पता और पंजीकरण संख्या)ने इस उद्देश्य के लिए (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी) श्री (आधार संख्या / पासपोर्ट संख्या / सामाजिक सुरक्षा संख्या) और श्रीमती(आधार संख्या / पासपोर्ट संख्या / सामाजिक सुरक्षा संख्या) के(भ्रूण की संख्या) बनाए हैं।

बनाए गए भ्रूणों की कुल संख्या और निर्माण की तिथि:

उपयोग किए गए भ्रूणों की कुल संख्या:

शेष भ्रूणों की संख्या:

भ्रूण का लिंग चयन नहीं किया गया है:

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किए जाएंगे। भारत के बाहर युग्मकों या भूणों के स्थानांतरण के मामले में शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 22

[नियम 19 (vii) देखें]

युग्मक धारण करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र (ओसाइट्स/शुक्राणु)

यह प्रमाणित करने के लिए है कि हमारे क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम / पता और पंजीकरण संख्या) ने श्री(आधार संख्या / पासपोर्ट नंबर / सामाजिक सुरक्षा संख्या) के जमे हुए वीर्य नमूने को संग्रहीत किया है। हम श्री (नाम / पता / संपर्क नंबर) के वीर्य नमूने की इन सभी शीशियों को(चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी) के उद्देश्य से स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।

श्री के जमे हुए वीर्य के नमूने को किसी भी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप एक्स या वाई अंश अलग हो गए हैं।

जमे हुए कुल वीर्य की शीशियां और जमाने की तिथि:

उपयोग की गई कुल वीर्य शीशियां:

शेष शीशियों की संख्या.....

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर
तारीख:

या

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम/पता और पंजीकरण संख्या) में सुश्री (आधार संख्या/पासपोर्ट संख्या/सामाजिक सुरक्षा संख्या) के ओसाइट (संख्या.....) हमारे क्लिनिक में जमे हुए हैं। हम सुश्री (नाम/पता/संपर्क नंबर) के इन सभी ओसाइटों (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी) के उद्देश्य से स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।

पुनर्प्राप्त किए गए ओसाइटों की कुल संख्या और पुनर्प्राप्ति और जमाने की तारीख:

भ्रूण के निर्माण के लिए प्रयुक्त ओसाइटों की संख्या:

शेष ओसाइटों की संख्या:

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर
तारीख:

नोट: हलफनामे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किए जाएंगे। भारत के बाहर युग्मकों या भूणों के स्थानांतरण के मामले में शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 23

[नियम 19 (viii) देखें]

जमे हुए भ्रूण प्राप्त करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र

यह प्रमाणित करने के लिए है कि हमारा क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम / पता और पंजीकरण संख्या) श्री (आधार संख्या / पासपोर्ट नंबर / सामाजिक सुरक्षा संख्या) और श्रीमती (नाम, आधार संख्या / पासपोर्ट नंबर / सामाजिक सुरक्षा संख्या) के जमे हुए भ्रूणों में से

..... (संख्या) प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाना है
.....(चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी)।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मोहर
तारीख:

नोट: हलफनामे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किए जाएंगे। भारत के बाहर युग्मकों या भ्रूणों के स्थानांतरण के मामले में शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 24

[नियम 19 (ix) देखें]

जमे हुए युग्मक प्राप्त करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र

यह प्रमाणित करने के लिए है कि हमारा क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम / पता और पंजीकरण संख्या) श्री के जमे हुए वीर्य नमूने की संख्या शीशियां (आधार संख्या / पासपोर्ट नंबर / सामाजिक सुरक्षा संख्या) प्राप्त करने के लिए तैयार है। जमे हुए वीर्य के नमूने को किसी भी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप एक्स या वाई अंशों को अलग किया जाएगा। वीर्य का उपयोग सुश्री / या श्री के इलाज के लिए किया जाएगा।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

या

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारा क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम/पता और पंजीकरण संख्या) सुश्री(आधार संख्या/पासपोर्ट संख्या/सामाजिक सुरक्षा संख्या) के जमे हुए ओसाइट प्राप्त करने का इच्छुक है। ओसाइटों का उपयोग सुश्री और/या श्री के उपचार के लिए किया जाएगा।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

नोट: युग्मक या भ्रूण धारण करने वाले और युग्मक या भ्रूण प्राप्त करने वाले क्लिनिक, दोनों गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेंगे। भारत के बाहर युग्मक या भ्रूण के स्थानांतरण के मामले में, शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

[सं. यू.11019/14/2022-एचआर (भाग-1)]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

नोट: सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में दिनांक 7 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 419 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 771(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो 10 अक्टूबर, 2022 को जारी किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2023

G.S.R 126(E).—In exercise of the powers conferred by clause (z) of sub-section (2) of section 42 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, namely: -

1. (1) These rules may be called the Assisted Reproductive Technology (Regulations) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, -

(a) after rule 18, the following rule shall be inserted, namely: -

“19. Transfer of gametes and embryos for personal use within or outside India. –

Whoever intends to transfer own gametes and embryos for personal use within or outside India under section 29 of the Act, shall apply or furnish declaration in Forms 16 to 24, as may be applicable and obtain the prior permission of the National Board.”

(b) Schedule 1 shall be renumbered as Schedule thereof and in the Schedule as so renumbered, after Form 15, the following forms shall be inserted, namely: -

“Form 16**[see rule 19 (i)]****Application form for transfer of gametes (Sperms and oocyte or embryos) within and outside India**

1. Name of applicant:
2. Marital Status :.....(married/single/divorced)
3. Name of the Spouse (if applicable).....
4. Address:
5. Contact no.....
6. Email id.....
7. Aadhar no..... Spouse.(if applicable)
8. Passport no. Spouse. (if applicable)
9. PAN no..... Spouse. (if applicable)
10. Date of Birth of applicant /spouse..... (DD/MM/YY)
11. Transfer of (Embryos/ Sperms/ Oocytes)
12. Transfer:(within /outside India)
- 13.From (name of the doctor / address of clinic/ contact/ email address):
.....
.....
- 14.To (name of the doctor/ address of clinic/ contact/ email address):
.....
.....
15. Quantity vials (sperm)/ No. of oocytes/embryos)
- 15 A. Purpose of transfer (whether Invitro Fertilization or Surrogacy)
16. Affidavit executed: yes / no
17. Affidavit from clinic holding gametes/embryos: yes/ no
18. Affidavit from clinic receiving gametes/embryos: yes/ no
19. List of supporting documents:

- 20. Copy of Aadhar (Yes/No)
- 21. Copy of Passport (Yes/No) (If transfer outside India)
- 22. Copy of Social Security Number (If Person of Indian Origin/ Foreigner)
- 23. Date of applying

Declaration

I/ we hereby declare that these gametes (sperm/ oocyte)/embryos are our own and are being transferred for personal use only.

Signature of Applicant

Signature of Spouse (if applicable)

Note: Strike off what is not applicable

Form 17

[See rule 19 (ii)]

Affidavit for transfer of embryos outside India

I/we.....and.....Resident of

..... Aadhar No..... and (if applicable) /Passport no..... (Husband)..... (Wife)/or (Name of individual). I/We have cryopreserved my/ our embryos since (date) at (name and address of the clinic) and we wish to transfer my/ our(number of embryos) outside India to

..... (name and address of the Foreign ART clinic) for the purpose of (Whether Invitro Fertilization or Surrogacy)

These embryos have been created using sperms ofand oocyte of and no sex selection has been performed on these embryos.

The transfer of embryos requested above is not in contravention to any of the provisions of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021). Also the present regulatory provisions of the country where I/We intend to transfer the embryos permits the transfer of these embryos.

I/We understand that selling human embryos or gametes, run an agency, a racket or an organisation for selling, purchasing or trading in human embryos or gametes shall be a punishable offence.

DECLARATION


I/ we hereby declare that the entries in this affidavit and the additional particulars, if any, furnished herewith are true to the best of my knowledge and belief.

Date: _____

Place: _____

Name and Signature of couple

/ Individual



Paste duly attested Photo

Note: Strike off which is not applicable

***Note:** The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India.

Form 18*[See rule 19 (iii)]***Affidavit for transfer of gametes (sperm/oocyte) outside India**

I/we.....and.....Resident of
.....

.....
..... Aadhar No..... and
..... (if applicable) /Passport no.....
(Husband)..... (Wife)/or (Individual). I/We have cryopreserved my/ our
..... (sperm/oocyte) since (date) at
..... (name and address of the clinic) and we wish to transfer my/
our (number/vial) of gametes(sperm/oocyte) to

.....
..... (Name and address of the Foreign ART clinic) for the purpose of (Whether In vitro Fertilization or
Surrogacy)

I /We also certify that that no separation of X and Y chromosomes has been done on the gamete (sperm/ oocyte)

The transfer of gametes requested above is not in contravention to any of the provisions of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021).

I/We understand that selling human embryos or gametes, run an agency, a racket or an organisation for selling, purchasing or trading in human embryos or gametes shall be a punishable offence.

DECLARATION


I/ we hereby declare that the entries in this affidavit and the additional particulars, if any, furnished herewith are true to the best of my knowledge and belief.

Date: _____

Place: _____

Name and Signature of Husband & wife

/ Individual



Paste duly attested Photo

Note: Strike off which is not applicable

***Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India.**

Form 19*[See rule 19 (iv)]***Affidavit for transfer of embryos within India**

I/we.....and.....Resident of
.....

.....
..... Aadhar No..... and
..... (if applicable) /Passport no.....
(Husband)..... (Wife)/or (Individual). I/We have cryopreserved my/ our
embryos since (date) at
.....(name and address of the clinic) and we wish to transfer my/
our(number of embryos) to

.....
..... (name and address of the clinic) for the purpose of (Whether Invitro Fertilization or Surrogacy)
.....

.....These embryos have been created using sperms of
.....and oocyte of
..... and no sex selection has been performed on these embryos. The present regulatory provisions of the country where I/We intend to transfer the embryos permits the transfer of these embryos.

The transfer of embryos requested above is not in contravention to any of the provisions of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021).

I/We understand that selling human embryos or gametes, run an agency, a racket or an organisation for selling, purchasing or trading in human embryos or gametes shall be a punishable offence.

DECLARATION


I/ we hereby declare that the entries in this affidavit and the additional particulars, if any, furnished herewith are true to the best of my knowledge and belief.

Date: _____

Place: _____

Name and Signature of couple

/ Individual



Paste duly attested Photo

Note: Strike off which is not applicable

***Note:** The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India.

Form 20

[See rule 19 (v)]

Affidavit for transfer of gametes (sperms/oocytes) within India

I/we.....and.....Resident of

.....
..... Aadhar No..... and
..... (if applicable) /Passport no.....
(Husband)..... (Wife)/or (Individual). I/We have cryopreserved my/ our
..... (sperms/oocytes) since (date) at
.....(name and address of the clinic) and we wish to transfer my/
our(number/vial) of gametes(sperm/oocyte) to

.....
(name and address of the clinic) for the purpose of (Whether Invitro Fertilization or Surrogacy)
.....

I/We also certify that that no separation of X and Y chromosomes has been done on the gamete (sperm/oocyte).

The transfer of gametes requested above is not in contravention to any of the provisions of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021).

I/We understand that selling human embryos or gametes, run an agency, a racket or an organisation for selling, purchasing or trading in human embryos or gametes shall be a punishable offence.

DECLARATION


I/ we hereby declare that the entries in this affidavit and the additional particulars, if any, furnished herewith are true to the best of my knowledge and belief.

Date: _____

Place: _____

Name and Signature of couple

/ Individual



Paste duly attested Photo

Note: Strike off which is not applicable

***Note:** The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India.

Form 21*[See rule 19 (vi)]***Affidavit from the clinic holding the frozen embryos**

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created..... (number of embryos) of Mr.(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number) and Mrs.....(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number) for the purpose.....(Whether Invitro Fertilization or Surrogacy).

Total number of embryos created and date of creation:

Total number of embryos used:

Number of remaining embryos:

The embryos have not been subjected to sex selection:

Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic

Date:

***Note:** The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public.

Form 22*[See rule 19 (vii)]***Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes)**

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr.(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number). We are ready to transfer all these vials of semen sample of Mr..... (Name/Address/Contact Number) for the purpose of (Whether Invitro Fertilization or Surrogacy)

The frozen semen sample of Mr. have not been subjected to any procedure resulting in separation of X or Y fractions.

Total semen vials frozen and date of freezing:

Total semen vials used:

Number of remaining vials.....

Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic

Date:

OR

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology

Clinic) has (number.....) of oocytes from Ms.(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number) frozen in our clinic. We are ready to transfer all these oocytes of Ms..... (Name/Address/Contact Number)for the purpose of (Whether In vitro Fertilization or Surrogacy)

Total Number of oocytes retrieved and date of retrieval and freezing:

Number of oocytes used for creation of embryos:

Number of remaining oocytes:

Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic

Date:

***Note :** The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the Affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public.

Form 23

[See rule 19 (viii)]

Affidavit from clinic receiving the frozen embryos

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) is willing to receive (Number) of the frozen embryos of Mr.(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number) and Mrs.(Name, Aadhaar number/ Passport number/ Social Security Number) to be used for the purpose (Whether In vitro Fertilization or Surrogacy).

Signature and stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic

Date:

***Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the Affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public.**

Form 24

[See rule 19 (ix)]

Affidavit from clinic receiving the frozen gametes

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) is willing to receivenumber of vials of the frozen semen sample of Mr.(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number). The frozen semen sample will not be subjected to any procedure resulting in separation of X or Y fractions. The semen will be used for the treatment of Ms.....and/ or Mr.....

Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic

Date:

OR

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) is willing to receive.....number of frozen oocytes of Ms.(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number).The oocytes will be used for the treatment of Ms.....and/ or

Mr.....

Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic

Date:

***Note:** The clinics holding the gametes or embryos and receiving the gametes or embryos, both shall execute Affidavits on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First

Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India, the Affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public.”

[No. U.11019/14/2022-HR (Part-I)]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Note : The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R.419 (E), dated the 7th June, 2022 and subsequently amended vide notification number G.S.R.771 (E), dated the 10th October, 2022